



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर  
दिनांक 05-07.2024

क्रमांक/रीडर/2024/315

तहसीलदार राजस्व  
रावतसर

मुकदमा संख्या : 14/2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :-

लालचन्द पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. शेरदास पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सुभाष पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. रुकमादेवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. रोहिताश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सुरेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. नरेन्द्र कुमार पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. रामस्वरूप पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. शिशपाल पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. धर्मपाल पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. आशी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. गोपालराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. लालचन्द पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किंकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 05-07.2024 को निर्णय करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये चक नं० 3 के.के.एम. के प.नं. 198/51 के किला नं. 24/2 की 0.015 है. 17 की 0.015 है. 14 की 0.015 है. 7 की 0.015 है. पश्चिमी पासा पर उतर से दक्षिण लम्बा व प.नं. 198/51 के किला नं. 4/2 की 0.015 है. 5/2 की 0.015 है. दक्षिणी पासा पर पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है व सायल व गैरसायल नं. 1 व 2 की भूमि चक 2 के.के.एम. के प.नं. 198/58 के किला नं. 10 की 0.003 है. 11 की 0.003 है. 20 की

0.003 है. 21 की 0.003 है. प.नं. 198/59 के किला नं. 1/1 की 0.003 है. पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण लम्बी भूमि गैरसायल नं. 9 के नाम दर्ज की जावे व गैरसायल नं. 4ता 6 की भूमि चक 3 के.के.एम. के प.नं. 198/51 के किला नं. 17 की 0.007 है. 16 की 0.008 है. दक्षिण पासा पर पुर्व से पश्चिम लम्बी भूमि गैरसायल नं. 3 के नाम दर्ज की जावे व गैरसायल नं. 9 की भूमि चक 3 के.के.एम. के प.नं. 198/50 के किला नं. 5/2 की 0.015 है. पश्चिमी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बी भूमि गैरसायल नं. 10 के नाम दर्ज की जावे व गैरसायल नं. 10 की भूमि चक 3 के.के.एम. के प.नं. 198/51 के किला नं. 4/2 की 0.015 है. पश्चिम पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बी भूमि गैरसायल नं. 11 ता 13 के नाम दर्ज की जाने के आदेश दिये जाते है। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं  
सहायक अधिकाधिकारी साखी  
अपर महाकालिका  
रावतसर